रजिस्ट्री सं. डी. (डी एल.)-127 REGISTERED NO. D. (DL)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 1988/फाल्गुन 20, 1909
No. 52] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 1988/PHALGUNA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1988

अधिसूचना

सं. फा. 6(34)/81 कार्या. सै.:—उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति का गठन एक संकल्प द्वारा तारीख 9-7-1981 को किया गया था।

और उपरोक्त संकल्प के अनुसरण में तारीख 12-2-1986 की अधिसूचना द्वारा वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति दो वर्ष अवधि के लिये बनाई गई थी।

और वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की उपरोक्त दो वर्ष की अवधि तारीख 11-2-1988 को समाप्त हो गई है तथा उक्त समिति के पुनर्गठन को अंतिम रूप देने की कार्रवाई चल रही है।

अतः राष्ट्रपति, इन परिस्थितियों में न्यायमूर्ति श्री ई. एस. वेंकटरामय्या की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की वर्तमान अवधि को तारीख 12-2-1988 से छह मास की अवधि के लिये या इसके पुनर्गठन तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाते हैं।

जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति, विशेष सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 10th March, 1988

NOTIFICATION

No. F. 6(34)|81-IC.—Whereas the Supreme Court Legal Aid Committee was constituted by Resolution dated 9-7-1981.

And whereas by a notification dated 12-2-1986, the present Supreme Court Legal Aid Committee was formed in pursuance of the above Resolution for a period of two years.

And whereas the term of the present Supreme Court Legal Aid Committee has expired on 11-2-1988 and the reconstitution of the said Committee is pending finalisation.

Now, therefore, the President in the circumstances is pleased to extend the terms of the present Supreme Court Legal Aid Committee headed by Justice Shri E. S. Venkataramiah for a period of six months with effect from 12-2-1988 or till it is reconstituted, whichever is earlier.

G. V. G. KRISHNAMURTHY, Spl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988